सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत भदलिया

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2018/64** दायर दिनांक **13.03.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. महावीरप्रसाद पुत्र हंसराज जाति नाई निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	**बनाम्**	1. लक्ष्मीनिवास पुत्र गोकुलचन्द 2. श्रीनिवास पुत्र नृसिंहदास 3. श्रीकुमार पुत्र रंगनाथ समस्त जाति महाजन निवासी बी. 07 2 फलॉर ग्रेटर कैलास पार्ट–01 न्यु दिल्ली 110048 4. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती

हस्ब धारा 88,राज. काश्त. अधि.

उपस्थितः–

1. श्री दुर्जाराम पुनियॉ अधिवक्ता, वादी
2. प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 अनुपस्थित

–:: निर्णय ::–

दिनांक **18.06.2018**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, मौजा मण्डाबासनी के हाल ख.न. 711 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, बारानी अवल के पुराने ख.न. 427 रकबा 07 बीघा वाके शरहद डीडवाना थे जो रेवन्यु विलेज मण्डाबासनी नया बनने से अब मण्डाबासनी की शरहद में स्थित है। नकल खतौनी वर्तमान व गत के खसरा की पेश है।जो साबिक में बापी गोशाला के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा इस भूमि में कर्षक का नाम पूसा वल्द गोपी कौम नाई निवासी डीडवाना का नाम दर्ज था।नकल खसरा सैटलमैन्ट विभाग सम्वत 2017 की पेश है।

उक्त जमीन साबिक में खालसा थी और गोशाला बएताम सेठ मगनीराम बॉगड निवासी डीडवाना के नाम राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी /खेवट खतौनी ग्राम डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में सम्वत 2014 से 2017 तक दर्ज थी।जिसमें ख.न. 427 रकबा 07 बीघा दर्ज थी, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है।

उक्त पुराना खसरा नम्बर 427 रकबा 07 बीघा किस्म बारानी अवल–1 की गिरदावरी सम्वत 2010 से 2017 में सम्वत 2010 से 2017 तक काश्त गोपी नाई के नाम दर्ज हुई जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2018/64
दायर दिनांक 13.03.2018, निर्णय दिनांक 18.06.2018
महावीर प्रसाद बनाम लक्ष्मीनिवास वगैरा।

स्व. गोपी नाई वादी के दादा था। गोपीनाई के तीन पूत्र पूसाराम, पुखराज, हंसराज थे।जो तिनो ही फौत हो चुके है।उक्त खसरा की जमीन वादी के पिता हंसराज के बन्ट में आई हुई थी।और स्व.हंसराज ही अपनी बन्ट की जमीन पर काश्त करता था। हंसराज का वादी एक मात्र पुत्र है।जो इस जमीन पर पीढियो से काश्त करता है।और मौजूदा कब्जा–काश्त भी इस जमीन पर वादी अकेले का है।गिरदावरी सम्वत 2010 से 2017 की पेश है। उक्त खसरा की बिगोडी वादी के दादा पिता व वादी ने समय–समय पर राज्य सरकार को अदा की है।जिस बाबत ढाल–बाछ की नकल लेकर पेश की जावेगी।

काश्तकारी कानून 1955 की धारा 88 के प्रावधान लागू हुए उस वक्त इस जमीन पर वादी के दादा व पिता काबिज थे।जिसकी तायद गिरदावरी सम्वत 2010 से 2017 से होती है।इा जमीन की खातेदारी कानूनी प्रावधान के अनुसार वादी के दादा गोपीनाई को प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन इसकी दुरूस्ती स्व0 गोपीनाई ने नही करवा सके। और यह जमीन गौशाला सेंठ मगनीराम बॉगड के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रही।बॉगड परिवार एक बहुत ही धनाढय व्यक्ति है।उन्होने कभी भी इस जमीन पर कब्जा नही किया, न ही काश्त की है।वादी के दादा गोपीनाई ने ही समय–समय पर काश्त की थी।इसलिए गोपीनाई के वारिस होने के नाते वादी इस खेत की खातेदारी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।खातेदारी हेतु घोषणा खातेदारी का दावा पेश है।

इस खसरे की जमीन के आस–पास जो भी खेत लगते है।वो खेत अलग–अलग खातेदारो के है।इस खसरे की जमीन के आस–पास गौशाला की जमीन नही है।न इस जमीन को बॉगड गौशाला के काम मे ली गई।एक मात्र यह जमीन पीढियो से वादी के दादा के समय से आज तक वादी के परिवार के कब्जे काश्त मे है।इस जमीन पर अन्य किसी का हक–अधिकार नही रहा है।वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कराने का अधिकारी है।

वादी ने उक्त पुराने खसरा नम्बर की राजस्व रिकार्ड की नकले दिनाकं 27.02.2018 को निखलाई तब वादी को ईल्म हुआ कि यह जमीन अभी भी राजस्व रिकार्ड में बापी बनाम गौशाला नृसिंहदास पुत्र गोविन्दलाल श्रीकुमार पुत्र रंगनाथ लक्ष्मीनिवास पुत्र गोकुलचन्द कौम महाजन (बॉगड) निवासी डीडवाना की खातेदारी मे दर्ज है।परन्तु इन्होने कभी भी इस जमीन को गौशाला के काम मे नही ली, न इस पर काश्त की है।इस जमीन पर सम्वत 2015 में 03 बीघा में मूंग व 04 बीघा में बाजरी की काश्त लिखा है।तथा सम्वत 2016 से 2017 में भी काश्त दर्ज है जो गोपीनाई की दर्ज है।इससे स्पष्ट है कि वादी के दादा गोपीनाई ही इस जमीन को अपने जीवनकाल में काश्त करता रहा है।और उसके बाद में वादी का पिता हंसराज काश्त करता रहा और मौजूदा समय में वादी अकेला इस जमीन पर काबिज है।

प्रार्थना वादी है कि

मौजा मण्डाबासनी के हाल ख.न. 711 रकबा 05 ब़ीघा 16 बिस्वा, बारानी अवल के पुराने ख.न. 427 रकबा 07 ब़ीघा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में सम्पुर्ण खातेदारी वादी के नाम घोषित की जावे।इसी माफिक राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती फरमाई जाकर मौजूदा खाते को हटा कर वादी के नाम इस खसरा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2018/64
दायर दिनांक 13.03.2018, निर्णय दिनांक 18.06.2018
महावीर प्रसाद बनाम लक्ष्मीनिवास वगैरा।

दिनाकं 18.06.2018 को प्रतिवादी संख्या 01 व 04 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से एक पक्षिये कार्यवाही अमल में लाई गई।वादी की और से अपने साक्ष्य में पी. डब्ल्यु –01 महावीरप्रसाद, पी. डब्ल्यु –02 मोहम्मद हसन, पी. डब्ल्यु –03 बन्नाराम, पी. डब्ल्यु –04 अब्दुल हमीद, पी. डब्ल्यु –05 रामचन्द्र के शपथ–पत्र पेश किये जो सामिल मिसल किये गयें।

वादी कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत भदलिया में उपस्थित हुआ प्रतिवादी 01 ता 04 कोर्ट केम्प कोलिया में भी बाद सम्मन तामिल के अनुपस्थित है। वादी ने जाहिर किया की उपरोक्त खेत पर वादी का 60 साल से कब्जा काश्त है।मगर खातेदारी प्रतिवादी के नाम दर्ज है। तथा मौतबीरान गहवान ने बताया कि वादी उपरोक्त खेत पर आज से 60 वर्षो से काबिज है। तथा खेती कर अपना जीवनयापन करतां है।

वादी व मौतबीरान गहवान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

:–आदेश–:

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा मण्डाबासनी के हाल ख.न. 711 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, बारानी अवल के पुराने ख.न. 427 रकबा 07 बीघा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में सम्पुर्ण खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाती है। इसी माफिक राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर मौजूदा खाते को हटा कर वादी के नाम इस खसरा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जावे। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **18.06.2018** को कोर्ट कैम्प भदलिया में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत भदलिया
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2018/64 दायर दिनांक 13.03.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. महावीरप्रसाद पुत्र हंसराज जाति नाई निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. लक्ष्मीनिवास पुत्र गोकुलचन्द 2. श्रीनिवास पुत्र नृसिंहदास 3. श्रीकुमार पुत्र रंगनाथ समस्त जाति महाजन निवासी बी. 07 2 फ्लॉर ग्रेटर कैलास पार्ट–01 न्यु दिल्ली 110048 4. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती

दिनांक 18.06.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री,दुर्जाराम पुनियॉ वादी उपस्थित व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 अनुपस्थित । मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा मण्डाबासनी के हाल ख.न. 711 रकवा 05 बीघा 16 बिस्वा, बारानी अवल के पुराने ख.न. 427 रकबा 07 बीघा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में सम्पुर्ण खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाती है। इसी माफिक राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर मौजूदा खाते को हटा कर वादी के नाम इस खसरा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जावे। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 18.06..2018 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			थमजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner